न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 99/2019

GCMS No. : 2019/00134

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जगनाथ पुत्र पुनाराम 2. कानाराम पुत्र बुधाराम जातियान–बावरी, निवासीगण–लितरिया, तहसील–जैतारण जिला–पाली।		1. लक्ष्मणराम पुत्र भंवरलाल 2. पप्पूराम पुत्र भंवरलाल जातियान–बावरी, निवासीगण–लितरिया, तहसील–जैतारण जिला–पाली। 3. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू :– 27/06/2019

उपस्थितः–

1. श्री चुतराराम भाटी, जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री चन्दन सिंह गोयल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनाँक :– 25/08/2020

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक व दो की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे की जमीन निम्न लिखित खसरान की आई हुई खसरा नम्बर 43 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 44/3 रकबा 01 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 41 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 24 रकबा 03 बिघा 18 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 31 रकबा 32 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 32 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 39 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 32/1 रकबा 06 बीघा किस्म बारानी अव्वल।

उपरोक्त जमीन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या एक व दो की आई हुई है जिसमें फसल बोने के लिए टैक्टर, छकड़ा, बेल, इत्यादि लाने ले जाने के लिए उक्त खसरान में आस पास कोई रास्ता नहीं होने से बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था और वर्षा ऋतु में फसल बोने के लिए दूसरे खातेदारों के खेतो में से आते व जाते थे।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक व दो के जाति समाज के मुख्यान ने अप्रार्थीगण को समझाईश कर अपने अपने खातेदारी जमीन में से 15 फुट चौड़ा रास्ता नया कायम करके दिनांक 8-7-2014 को आपसी लिखत कर नोटेरी पब्लिक जैतारण से तस्दीक करवाया गया तब से प्रार्थीगण उक्त नये रास्ते से अपने अपने खातेदारी जमीन में फसल बोने के लिए ट्रेक्टर छकड़ा, बेल आदि लाते व ले जाते हैं।

प्रार्थीगण के खातेदारी जमीन में आने जाने के लिए आस पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से अपने खातेदारी जमीन खसरा नम्बर -43, 41, 31, 32, में से नया रास्ता कायम किया गया जो वर्तमान में 15 फुट चौड़ा चालू हालत में है इसी रास्ते में से अपने अपने खातेदारी जमीन में आते जाते है लेकिन उक्त

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.09.04 12:14:36 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से आऐ दिन विवाद रहता है इसलिए खसरा नम्बर- 43, 41, 31, 32 में से नया रास्ता दर्ज किया जाना जरूरी हैं।
नया रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु मौके का नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है जिसको प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें उक्त नजरी नक्शा माफिक नया रास्ता के लिए प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी में से जमीन छोड़ी गई है जिसका कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं ले रहे है अपनी सुविधा के लिए वैकल्कि रास्ता नहीं होने से नया रास्ता बनाया गया है जिसको राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाना जरूरी हैं।

उक्त नजरी नक्शा में दर्शाया गया नया रास्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक व दो ने अपनी पारस्परिक सहमति से अपनी खातेदारी जमीन में से छोड़ा गया है जो हमेशा के लिए कायम रहेगा जिससे प्रार्थीगण को कोई आपति नहीं हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर -43, 41, 31, 32, में से नया रास्ता कायम किया जाकर नजरी नक्शा माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण की ओर से राजीनामा पेश किया गया, जो सामिल मिसल है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से राजीनामा पेश है कि उपरोक्त अनवान के प्रार्थना पत्र में पक्षकार के आपस में भाईबन्ध द्वारा समझाईश करने से राजीनामा हो गया एवं खसरा नम्बर 43, 41, 31, में से नया रास्ता कायम किया गया है। जो मौके पर चालू हालत में है उक्त रास्ता 15 फुट चौडा रहेगा, उक्त रास्ता बाबत दोनों पक्षकार मुआवजा प्राप्त कर लिया हैं दोनों पक्षकार के अपनी पारस्परिक सहमति से अपनी खातेदारी जमीन में से रास्ता कायम किया है। राजीनामा राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जाये खर्चा पक्षकारन अपना अपना वहन करेगें।

उक्त संबंध में तहसीलदार जैतारण को क्रमांक/कोर्ट/2019/615 दिनांक 16/08/2019 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार जैतारण ने रिर्पोट प्रस्तुत कि प्रार्थी वर्तमान में उक्त खेत में जाने हेतु रास्ता मार्क ए से बी तक खसरा नम्बर 43, 41, में आया हुआ है जो मौके पर चालू है अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा निरीक्षक रिपोर्ट में दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 43 मे लम्बाई 52 गठा एवं चौडाई 2 गठा यानि 05 बिस्वा, मार्क सी डी - खसरा नम्बर 41 मे लम्बाई 76 गठा एवं चौडाई 2 गठा यानि 07 बिस्वा है। प्रार्थी को दिये जाने वाले रास्ते की प्रभावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 32810 रु प्रति बीघा है।

कृषकों के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए ही धारा 251 काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251 क का संशोधन किया गया हैं जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार -

"(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता हैं, तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे "

उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जांच पश्चात् वैकल्पिक मार्ग नही होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किये गये प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।

बहस वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। बहस समायत कि गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार जैतारण की जांच रिपोर्ट अनुसार एवं अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार किसी कृषक को अपनी जोत तक आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.09.04 12:14:36 IST
Reason: SelfAttested

नजदीकी खातेदारी भूमि जिसमें कम से कम दूरी हो उसमें से आने जाने का रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार जैतारण ने अपनी जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा मय प्रस्तावित रास्ते के प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 43 मे लम्बाई 52 गठा एवं चौडाई 2 गठा यानि 05 बिस्वा, मार्क सी डी – खसरा नम्बर 41 मे लम्बाई 76 गठा एवं चौडाई 2 गठा यानि 07 बिस्वा है। प्रार्थी को दिये जाने वाले रास्ते की प्रभावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 32810 रु प्रति बीघा है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को जोत तक पहुँचने या अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता मौके पर रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तथा यह न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प है। पक्षकारन द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तावित रास्ता आपसी सहमित से खातेदारी आराजी में से छोड़ा है, तथा इस संबन्ध में प्रार्थी से दोनो अप्रार्थीगणों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है तथा अब राशि प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। अतः तहसीलदार जैतारण की रिपोर्ट एवं पक्षकारन के मध्य हुए राजीनामे के आधार पर हम प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पक्षकारान द्वारा निष्पादित राजीनामा एवं तहसीलदार जैतारण की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की आराजी से निकटतम एवं न्यूनतम दूरी पर अवस्थित अभिलिखित गैर मुमकिन रास्ता ग्राम–लितरिया पटवार–काणेचा, तहसील–जैतारण, के खसरा संख्या 45 से संलग्न नजरी नक्शे के अनुरूप बिन्दु संख्या A से B तक खसरा संख्या 43 में से लम्बाई 52 गटा एवं चौड़ाई 2 गटा अर्थात् 0–05 बीघा एवं खसरा संख्या 41 में से लम्बाई 76 गटा एवं चौड़ाई 2 गटा अर्थात् 0–07 बीघा, कुल 0–12 बीघा भूमि खातेदारी में से कम की जाकर गैर मुमकिन रास्ता सिवाय चक दर्ज करने आदेश दिये जाते हैं। संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का भाग होगा। पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने एवं अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रतिकर प्राप्त कर लिए जाने से कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। पक्षकारान अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेगें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण, (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 25/08/2020 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण, (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.09.04 12:14:36 IST
Reason: SelfAttested